भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3287

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक उत्पादन बढ़ाने की पहल

3287. श्री विष्णु दयाल राम:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
सुश्री कंगना रनौत:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री जनार्दन मिश्रा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरक उत्पादन बढ़ाने और किसानों के बीच इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या पहलें की जा रही हैं; और
(ख) बढ़ती हुई आदान लागत की समस्या का समाधान करने और कृषि में संधारणीयता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-III यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित

की गई है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से अधिक बढ़ाकर अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है।

उपर्युक्त सभी उपायों से यूरिया उत्पादन में वृद्धि हुई है जो वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष था वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़कर 306.67 एलएमटी हो गया है।

इसके अलावा,सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरक ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने और देश को उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) अनुरोधों के आधार पर एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को अहमियत दी गई है/संज्ञान में लिया गया है।

(ii) एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों की संख्या वर्ष 2021 की 22 ग्रेड से बढ़ाकर वर्तमान में 28 ग्रेड कर दी गई है।

(iii) मृदा को फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पर मालभाड़ा सब्सिडी, खरीफ, 2022 से लागू है।

(ख): यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत, वर्तमान में किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। 45 किग्रा यूरिया की बोरी का एमआरपी 242 रुपए (नीम कोटिंग के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, देश के सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है और इस प्रकार वे इस स्कीम के लाभार्थी हैं।

एनबीएस स्कीम के तहत, उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों का वहनीय स्तर पर एमआरपी नियत करती हैं जिसकी सरकार द्वारा निगरानी की जाती है। तथापि, वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, विशेष प्रावधान जैसे 'अन्य लागतों', जिनमें कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत**,** अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण लाभ/नुकसान शामिल हैं**,** को कवर करने के लिए 3500 रु प्रति मीट्रिक टन का प्रावधान**,** एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और खरीफ 2025 मौसम के लिए एनबीएस सब्सिडी के अतिरिक्त आयातित और घरेलू डीएपी दोनों के लिए तथा आयातित ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) के लिए निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर से उचित रिटर्न का प्रावधान किया गया है ताकि बढ़ती इनपुट लागतों को देखते हुए उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

*****